वाणिज्य

- ם अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश के आर्थिक रूपांतरण में अनेकानेक ढंग से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था से अधिक से अधिक जुड़ाव उत्तरोत्तर प्रितस्पर्धा, प्रमुख क्षेत्रों में विशेषज्ञता, स्तर में कुल मिला कर सुधार होना, उपभोक्ता (खरीदार) के लिए बेहतर गुणवत्ता एवं उपलब्धता, तकनीकी जानकारी का हस्तांतरण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कद में वृद्धि सकल विकास दर में वृद्धि और रोजगार बढ़ने को सुनिश्चित करता है।
- भारत में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कई क्षेत्रों में हो रही प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिली हुई है। इनमें कृषि उत्पाद, बागवानी, अभियंत्रण सेवाएं (इंजीनियरिंग), वस्त्र, चमड़ा, औषधियां, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं प्लास्टिक उत्पाद शामिल हैं।
- □ निर्यात में वृद्धि भारत की कुल आर्थिक उपलब्धि का प्रमुख संचालक रही है। पिछले तेरह महीनों में हुआ निर्यात का सकारात्मक प्रदर्शन उपलब्ध आंकड़ों से होता है जो सिंतबर 2016 के 22.86 अरब अमरीकी डॉलर से 25.67 प्रतिशत बढ़कर सिंतबर 2017 में 28.61 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है।
- भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने वर्ष 2020 तक देश को वैश्विक व्यापार में प्रमुख भागीदार बनाने और यह सुनिश्चित करने की भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में अग्रणी भूमिका को उसके बढ़ते महत्त्व के अनुरूप बनाने हेतु प्रयास किया गया है।
- इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह सभी संबंधित पक्षों के साथ मिल कर प्रयासरत हैं और भारत के व्यापारिक माल एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि में सहायता करने के लिए तदनुसार व्यवस्था कर रहा है।
- विभाग को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन और व्यापार सुगमता, कितपय निर्यातोन्मुख उद्योगों, वस्तुओं तथा कार्य नीति का विकास एवं विनियमन जैसे बहु आयामी कार्य सौंपें गए हैं।

वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक परिवेश

- वैश्विक संकटों ने पूरे संसार को अलग अलग ढंग से प्रभावित किया जिसमें आर्थिक मंदी और विश्व व्यापार में संकुचन भी आता है।
- हालांकि विश्व व्यापार संगठन (डल्ब्यूटीओ) के हालिया आंकड़े विश्व व्यापार की स्वास्थ्य संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं।
- वर्ष 2017 के लिए विश्व में व्यापारिक माल के लेनदेन में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। इसी वर्ष के लिए पिछला अनुमान 2.4 प्रतिशत था। (जीडीपी) व्यापार विनिमय दरों (डब्ल्यूटीओं 2017) के 2.8 प्रतिशत वैश्विक सकल विकास दर के साथ व्यापार वृद्धि को 3.2-3.9 प्रतिशत की सीमा में रखा गया है।
- पिछले चार वर्षों के दौरान भारत की व्यापार (निर्यात+आयात)

- वृद्धि दर ऋणात्मक रही हालाँकि 2014 में 0.07 का हल्का सुधार दिखा था।
- यह इस तथ्य के बावजूद है कि भारत की सकल विकास दर 2014 के 7.2 प्रतिशत से बढ़कर 2015 में 7.9 प्रतिशत हो गई थी जो नवंबर 2016 में घट कर 7.1 प्रतिशत रह गई।
- भारत वर्ष 2016-17 में 7.1 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर प्राप्त करके विश्व में सबसे तेज आर्थिक विकास वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुदा कोष (आईएमएफ 2017) के अनुमानों के अनुसार वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में ऊर्ध्वागामी उछाल मजबृत हो रहा है।
- ⇒ वर्ष 2016 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण 3.2 प्रतिशत की सबसे कमजोर आर्थिक दर अब बढ़कर 2017 में 3.6 प्रतिशत

और 2018 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान है।

भारत का व्यापार परिदृश्य

अप्रैल-सिंतबर 2017-18 की अवधि में व्यापार का लेखा जोखा निर्यात अमरीकी डॉलरों के हिसाब से निर्यात में अप्रैल-सिंतबर 2017-18 की अवधि में इससे पहले वर्ष की तुलना में 10. 84 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल 2017-सिंतबर 2018 के दौरान वाणिज्यिक माल का निर्यात 146.29 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया।

आयात

- अप्रैल-सिंतबर 2017-18 की अविध में कुल आयात 220.55 अरब अमरीकी डॉलर रहा जबिक इससे पहले वर्ष इसी अविध में 175.34 अरब अमरीका डॉलर का आयात हुआ था।
- अमरीका डॉलर के हिसाब से आयात वृद्धि 25.79 प्रतिशत रही। अप्रैल-सितंबर 2017-18 की अविध (अनुमानित) में कुल 46.51 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य का तेल आयात हुआ जबिक इससे पहले वर्ष इसी अविध में हुए 39.53 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य के तेल आयात से 17.65 प्रतिशत अधिक रहा।
- अप्रैल-सितंबर 2017-18 की अविध (अनुमानित) में 174.05 अरब अमरीका डॉलर का गैर-तेल आयात इससे पहले वर्ष के दौरान इसी अविध में हुए 135.81 अरब अमरीकी डॉलर का गैर-तेल आयात से 28.15 प्रतिशत अधिक दर्ज हुआ।

व्यापार संतुलन

अप्रैल-सिंतबर 2017-18 की अवधि (अनुमानित) में अनुमानित व्यापार घाटा 74.27 अरब अमरीकी डॉलर रहा जो इससे पहले वर्ष इसी अवधि में हुए व्यापार घाटे से 43.36 अरब अमरीकी डॉलर कम था।

प्रमुख मदों का निर्यात

- अप्रैल-सिंतबर 2017-18 की अविध (अनुमानित) में पाँच प्रमुख मदों का निर्यात कुल निर्यात का 35.52 प्रतिशत दर्ज किया गया।
- इसमें मुख्य हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों, मोती, मूल्यवान तथा अर्ध-मूल्यवान रत्नों, जैविक औषधीय सामग्री, स्वर्ग एवं अन्य मूल्यवान धातुओं से बने आभूषण, लोहा और इस्पात शामिल हैं।

प्रमुख मदों का आयात

अमरीकी डॉलर मूल्य में अप्रैल-2017 से सितंबर 2018 की अविध (अनुमानित) के लिए प्रमुख मदों के आयात के फैले हुए आंकड़े इससे पहले वर्ष इसी अविध में हुए आयात के सापेक्ष उपलब्ध हैं।

- अप्रैल-सिंतबर 2017-18 की अविध (अनुमानित) में पाँच प्रमुख मदों का आयात कुल आयात का 42.48 प्रतिशत दर्ज किया गया।
- इसमें मुख्य हिस्सा अशोधित (कच्चा) पेट्रोलियम, मोती, मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान रत्न, स्वर्ण, दूरसंचार उपकरण एवं कोयला, बुझा हुआ पत्थर का कोयला (कोक) एवं क्रिकेट शामिल हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

- निर्यात संवर्धन के क्षेत्र में भारत निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (ईपीजेड) की प्रभावशीलता को पहचानने वाला एशिया का पहला देश था जिसने सबसे पहले 1965 में कांधला में पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र (ईपीजेड) स्थापित किया था।
- □ हालाँकि बहुत अधिक नियंत्रणों और कई प्रकार की स्वीकृतियों की आवश्यकता पड़ने, विश्वस्तरीय आधारभूत संरचनाओं की अनुपस्थिति और अस्थिर वित्तीय व्यवस्था जैसी किमयों को दूर करने और अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति की घोषणा की गई थी।
- इस उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को आर्थिक विकास का एक ऐसा इंजन बनाना था जिसे उच्च स्तरीय आधारभूत ढांचे के रूप में न्यूनतम संभव नियंत्रणों और विनियमनों वाला केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आकर्षक वितीय पैकेज मिलता।
- □ विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नियमों से सज्जित विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम, 2005 को वर्ष 2006 में लागू किया गया जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से संबंधित विषयों में नियमों के सरलीकरण और एकल खिड़की स्वीकृति दिए जाने का प्रावधान किया गया था।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन; माल एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना; स्वदेशी और विदेशी निवेशकों द्व ारा किए जाने वाले निवेशकों को बढ़ावा देना; रोजगार के अवसरों का सृजन करता तथा आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है।

विदेश व्यापार नीति

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-2020 में वाणिज्यिक माल और सेवाओं के क्षेत्र में एक स्थिर और दीर्घकालीन नीति का वातावरण उपलब्ध करवाना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षत्रों की सहायता कर भारत से होने वाले निर्यात में विविधता को बढ़ावा देने के तत्संबंधी सहायक नियम बनाकर उसे निर्यात एवं आयात को प्रोत्साहन देने और इस प्रक्रिया को 'मेक इन इंडिया', डिजिटल इंडिया', 'कौशल भारत', स्किल इंडिया' तथा 'व्यापार करने की सुगमता' (ईज ऑड डूइंग जिनेस) जैसे प्रयासों/पहलों के साथ निर्यात और आयात हेतु नियमों को जोड़ने का प्रावधान है।

- विदेश व्यापार नीति की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य सीमा शुल्क समस्याओं का निराकरण और प्रौद्योगिक उन्नयन को बढ़ावा देना है तािक निर्यातकों को बराबरी का अवसर देने वाला कार्यक्षेत्र उपलब्ध करवाते हुए आधारभूत ढांचे की अक्षमता में सुधार और लागत को कम रखते हुए भारत से निर्यात को बढ़ाया जा सके।
- वर्तमान जीएसटी प्रावधानों को लागू करने के लिए एफटीपी में आवश्यक परिवर्तन कर दिए जाए हैं।

भारत योजना से वाणिज्यिक माल का निर्यात (एमईआईएस)

- एमईआईएस भारत में निर्मित/उत्पादित अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात संवर्धन हेतु बनाई गई महती योजना है।
- 1 अप्रैल, 2015 को लागू होते समय एमईआईएस के अंतर्गत
 8 अंकों में 4,914 टैरिफ लाइनें आती थीं।
- विश्वव्यापी आर्थिक मंदी तथा इसके कारण निर्यातकों के सामने आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसमें अतिरिक्त लाइने जोडी गई।
- वर्तमान में इसमें विश्वव्यापी प्रसार वाली 7,914 लाइनें हैं। इसके लिए पूर्व निश्चित 18,000 करोड़ रूपये के प्रावधान वाला राजस्व अब बढ़ाकर 23,500 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
- एमईआईएस प्रोत्साहन निर्यात की एफओबी लागत के 02,03
 और 05 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध हैं।

भारत योजना से सेवाओं का निर्यात (एसईआईएस)

- उपयुक्त सेवाओं के निर्यात संवर्धन की योजना एसईआईएस को पूर्ववर्ती भारत योजना से पोषित (एसएफआईएस)के स्थान पर विदेश व्यापार नीति 2015-20 में शुरू किया गया था।
- इसे कुल अर्जित विदेशी मुद्रा के 03 से 05 प्रतिशत की दर से दिया जाता है केवल विधि 01 और विधि 02 की सेवाएं ही अनुमान्य है।
- यह योजना पूर्व में लागू 'भारतीय सेवा प्रदाता' के स्थान पर अब 'भारत में कार्यरत सेवा प्रदाता' श्रेणी पर लागू की गई है।
- ई-वाणिज्य (कॉमर्स) का उपयोग करने वाले कोरियर अथवा विदेशी डाकघरों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात: एमईआईएस के अंतर्गत ई-वाणिज्य (कॉमर्स) का उपयोग करने वाले कोरियर अथवा विदेशी डाकघरों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात करने को प्रोत्साहन देने के लिए एफटीपी ने एक नई योजना शुरू की है।

- च्रिक ई-वाणिज्य (कॉमर्स) निर्यात का विनियामक ढांचा अभी तैयार ही किया जा रहा है अत: इस योजना को सीमित रूप से लागू किया गया।
- ⇒ अग्रिम अधिकार-पत्र (एए): इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्यवर्द्धन के साथ निवेश हेतु आने वाले सामान पर सीमा शुल्क मुक्त आयात की अनुमित दी गई है।
- एफटीपी की प्रक्रिया नियमावली के प्रावधानों के अनुसार एसआईओएन अथवा स्व घोषणा के आधार पर अंतिम उत्पादों से जुड़े निवेशों के लिए अग्रिम अधिकार-पत्र (एए) जारी किया जाता है।
- सीमा शुल्क मुक्त अधिकार पत्र योजना (डीएफआईए): न्यूनतम 20 प्रतिशत की मूल्यवर्द्धिता के साथ निवेश के आयात के लिए डीएफआईए का प्रावधान किया गया था।
- केवल बुनियादी सीमा शुल्क के भुगतान पर डीएफआईए को छूट मिलेगी तथा अधिकार पत्र केवल उन उत्पादों के लिए निर्यात उपरांत आधार पर जारी किया जा सकेगा जिनके लिए एसआईओएन अधिसूचना जारी की गई है।
- 🗅 रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए अलग से योजना है।
- ईपीसीजी योजनाः इस योजना के अंतर्गत भारत की निर्यात प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन एवं बेहतर सेवाओं हेतु पूंजीगत माल के आयात पर सीमा शुल्क की दर शून्य प्रतिशत रहेगी।
- योजना के अंतर्गत 25 प्रतिशत कम निर्यात अनुबंधों के साथ पूंजीगत माल की घरेलू आपूर्ति की भी अनुमित होगी।
- ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी तथा बीटीपी योजनाः इस योजना के अतंर्गत ऐसी इकाइयां स्थापित की जा सकेंगी जो सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना आयात/घरेलू आपूर्ति हेतु अपने यहां उत्पादित समस्त माल और सेवाओं का निर्यात करेंगी।
- 2017 से डीजीएफटी द्वारा आईईसी के रूप में कंपनियों का पीएन जारी किया जा रहा है।
- आवेदन करने तथा आईईसी जारी करने की प्रक्रिया आनॅलाइन एवं सुरक्षित है। आईसी को डीआईपीपी के ई-बिजली पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ईबीआरसी) प्रणाली के उपायों का विस्तार किया गया है। डीजीएफटी इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ईबीआरसी) प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों को 17 अन्य एजेंसियों के साथ साझा करता है।
- डीजीएफटी में ऑनलाइन करके के लिए उपलब्ध 'आयात-निर्यात' फॉर्म को विभिन्न प्रावधानों में स्पष्टता लाते हुए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ाते हुए और सरल बना दिया गया है।

व्यवसाय करने की सुगमता तथा ई-शासन विधि

प्रमाण-पत्रों की संख्या कम रखना

- □ प्रत्येक निर्यात और आयात के लिए अनिवार्य प्रमाण-पत्रों की संख्या घटाकर अब 03 कर दी गई है।
- □ पहले निर्यात के लिए 07 एवं आयात हेतु 10 प्रमाण–पत्रों की आवश्यकता होती थी।

योजनाओं की संख्या कम करना

- नई विदेश व्यापार नीति (2015-20) 2015 में लागू की गई थी जिसका उद्देश्य वाणिज्यिक माल और सेवा निर्यात को बढ़ावा देना तथा व्यवसाय करने की सुगमता को सुधारना था।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने वाणिज्यिक माल के निर्यात को एक ही योजना में लाने के लिए पहले से जारी पाँच विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को एकाकार कर दिया था।

परिवर्तित योजनाएं इस प्रकार हैं

प्रमुख उत्पाद योजना (एफपीएच), प्रमुख बाजार योजना (एफएमएस), बाजार से जुड़े प्रमुख उत्पाद प्रतिभूति-पत्र (एमएलएफपीएस), विशेष कृषि एवं उद्योग योजना (वीकोजीयूवाई), कृषि आधारभूत संरचना प्रोत्साहन प्रतिभूति-पत्र।

शासकीय ई-बाजार (जीईएम)

- डीजीएसडी ने सरकार/लोक उपक्रमों द्वारा विभिन्न प्रकार के समान और सेवाओं की खरीद/बिक्री के लिए समर्पित प्रौद्योगिकी आधारित ई-बाजार की स्थापना की है जहां विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों द्वारा विभिन्न सेवाओं और सामान की खरीदारी को सुगम किया जा सकेगा। 2016 में इसका पोर्टल शुरू किया गया था।
- मापनीय और पूरी तरह से ऑनलाइन, पारदर्शी और व्यवस्था संचालित जीईएम माल और सेवाओं की आपूर्ति (खरीद) सरलता, कुशलता एंव तेजी से हो जाती है।
- इसके अंतर्गत आपूर्ति की पूरी प्रक्रिया आ जाती है जिसमें विक्रेता का पंजीकरण, क्रेता (खरीदार) द्वारा माल का चयन, आपूर्ति आदेश तैयार करना और माल/सेवाओं की निर्दिष्ट क्रेता द्वारा पावती के साथ ही विक्रेता को ऑनलाइन भुगतान किया जाना शामिल है।

डब्ल्यूटीओ और भारत

भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के संस्थापक सदस्यों
 में से एक है और इसकी विविध पक्षता के लिए पूरी तरह

- प्रतिबद्ध है। वर्तमान में डब्ल्यूटीओ में दोहा विकास कार्यक्रम पर विचार-विमर्श जारी हैं।
- वर्ष 2001 में स्वीकार किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकाशील देशों की चिंताओं को दूर करना है।
- यह कार्यक्रम इन देशों को विश्व व्यापार प्रणाली से जोड़ना सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

डब्ल्यूटीओ का परिचय

- डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा में है, इसकी स्थापना
 । जनवरी, 1995 को हुई थी।
- 🗅 2018 तक डब्ल्यूटीओ की सदस्य संख्या 164 है।
- □ वर्तमान में विश्व के लगभग 30 अन्य देश डब्ल्यूटीओ के सदस्य बनने की प्रक्रिया में हैं।
- 2016 में लाइबेरिया 164वां सदस्य और अफगानिस्तान 163वां सदस्य बना।
- 2015 में कज़ाखस्तान 162वां तथा सेशल्स 161वां सदस्य देश बना।

पृष्ठभूमि

- बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की वैधानिक एवं संस्थात्मक आधारिशला के रूप में डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी, 1995 के मराकेश समझौते (15 अप्रैल, 1994 को हस्ताक्षरित) के अधीन की गई।
- इस नये संगठन द्वारा गैट (प्रशुल्क एवं व्यापार का सामान्य समझौता) का स्थान लिया गया।
- एक अंतरिम समझौते के रूप में गैट 1 जनवरी, 1948 से लागू हुआ था।
- मूलत: इसमें 23 हस्ताक्षरकर्ता थे, जिन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय
 व्यापार संगठन हेतु दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करना था।
- आठवें वार्ता चक्र (जिसे उरुग्वे चक्र भी कहा जाता है) की समाप्ति 15 दिसंबर, 1998 को हुई। इस वार्ता चक्र में विश्व व्यापार में 90% भागीदारी रखने वाले 117 देश शामिल हुए।
- □ इतिहास का सबसे व्यापक समझौता (Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations) 15 अप्रैल, 1994 को 123 देशों के व्यापार मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित हुआ।
- यह समझौता विश्व व्यापार संगठन की आधारशिला बना।
 गैट औपचारिक रूप से 1995 के अंत में विघटित हो गया।
- मराकेश समझौते द्वारा गैट से जुड़े पक्षों को नये संगठन के
 मूल सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए दिसंबर 1996
 तक का समय दिया गया।

11वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

- ⇒ 10-13 दिसंबर, 2017 के मध्य '11वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन' (11th WTO Ministerial Conference) ब्यूर्नस आयर्स, अर्जेंटीना में आयोजित की गई।
- इस सम्मेलन की अध्यक्षता अर्जेंटीना की मंत्री सुसाना मालकोरा (Susana Malcorra) ने की।
- 🗢 इस सम्मेलन में 164 सदस्य देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।
- चार दिवसीय यह बैठक बिना किसी ठोस परिणाम के ही समाप्त हो गई।
- इसकी अहम वजह अमेरिका का सार्वजिनक खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढ़ने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हटना है।
- भारत द्वारा प्रमुख तौर पर उठाई गई खाद्य सुरक्षा की मांग को लेकर एक साझा सहमति स्तर पर पहुँचने से अमेरिका ने मना कर दिया जिससे यह बातचीत असफल रही।
- केवल मत्स्य और ई-वाणिज्य के क्षेत्र में ही थोड़ी प्रगति हुई है क्योंकि इसके लिए कामकाजी कार्यक्रमों पर सहमति बनी है।

वीजा सुधार

- आर्थिक विकास को गित देने,पर्यटन, चिकित्सा हेतु यात्रा, भारत को प्रत्यक्ष विदेशी एंव पोर्टफोलियो निवेश का आकर्षण केंद्र बनाने के लिए व्यवसाय हेतु यात्रा के उद्देश्य से भारत में वीजा व्यवस्था को उदार बनाने, उसके सरलीकरण एवं उसे औचित्यपूर्ण बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
- कुछ महत्त्वपूर्ण कदम इस प्रकार है:
 - ई-वीजा, पर्यटन, व्यापारिक, चिकित्सा एवं रोजगार वीजा योजना का उदारीकरण।
 - वीजा की नई श्रेणियां जैसे इंटर्न वीजा और फिल्म वीजा शुरू की गई हैं।
 - इससे पर्यटन, चिकित्सा हेतु यात्रा तथा मीडिया और मनोरंजन उद्योग को नए पंख लग जाएंगे।

भारत योजना से सेवाओं का निर्यात (एसईआईएस)

- सरकार ने 2015 से विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015-20
 के अतंर्गत भारत योजना से सेवाओं का निर्यात (एसईआईएस)
 शुरू किया था।
- यह एफटीपी, 2009-15 के अतंर्गत पूर्ववर्ती 'भारत योजना से सेवा' के स्थान पर लाई थी।
- एसईआईएस के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को उनकी सकल विदेशी मुद्रा आय के 03 से 05 प्रतिशत की दर से शुल्क ऋण प्रतिभृति का प्रोत्साहन दिया जाता है।

मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए)

- भारत ने सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान और मलेशिया की सरकारों के साथ सेवाओं के व्यापार सिंहत कई व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते किए हैं।
- दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (एएसईएएन) के साथ 2014 में सेवाओं और निवेश हेतु मुक्त व्यापार समझौता किया गया था।
- वर्तमान एफटीए से मिली उपलब्धियां इस प्रकार हैं: स्थायी डब्ल्यूटीओ के साथ सभी एफटीए सहयोगियों से प्राप्त अनुबंध; भारत द्वारा किए गए सभी अनुबंध वर्तमान नीतियों/स्वायत्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत हैं तथा सीमा पार आपूर्ति (व्यवस्था 1); कंप्यूटर तथा संबंधित सेवाएं और व्यापार सेवाएं प्राप्त हुई हैं।

निर्यात क्षेत्र के लिए व्यापार आधारभूत संरचना का प्रारंभ (टीआईइएस)

- निर्यात आधारभूत संरचना और सम्वर्गी सेवाओं के विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) वाणिज्य विभाग ने अभी तक (एएसआईडीई) के माध्यम से आधारभूत सरंचना की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों की सहायता की है।
- ⇒ अत: (टीआईइएस) नाम से निर्यात आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए 2017 में एक नई योजना बनाई और शुरू की गई हैं।

परीक्षा उपयोगी प्रश्न

निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

- विदेश व्यापार नीति बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करने का कार्य विदेश मंत्रालय का है।
- 2. वर्ष 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में वैश्विक वृद्धि दर में ऋणात्मक वृद्धि होने का अनुमान है।

सही कथन का चयन कीजिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 a 2 दोनों
- (d) इनमें से कोई नहीं

2. निम्नलिखित पर विचार कीजिए-

- WTO के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी आंकड़ों के अनुसार 5.
 भारत विश्व का 19वाँ सबसे बड़ा निर्यातक है।
- 2. भारत आयात क्षेत्र में विश्व की 2.4% की हिस्सेदारी रखता है।

सही कथन का चयन कीजिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

3. भुगतान संतुलन का संतुलित होना किस पर निर्भर है-

- 1. FDI का ज्यादा प्रवाह
- 2. विदेशी ऋण का कम होना।
- 3. चालू खाते का संतुलित होना।

कूट-

- (b) 2 a 3
- (c) 1 a 3
- (d) 1,2 a 3

किसी देश का भगतान संतुलन व्यवस्थित अभिलेख है-

- िकसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यत: एक वर्ष में िकसी देश का समस्त आयात और निर्यात का लेन-देन
- 2. किसी वर्ष में एक देश द्वारा निर्यात की गई वस्तुएं
- 3. ब्याज लाभांश, आय ऋण
- 4. विदेशी परिसम्पत्तियाँ सही उत्तर का चयन कीजिए-
- (a) 1,2 **a** 3
- (b) 3 a 4
- (c) 1,3 a 4
- (d) उपरोक्त सभी

पूँजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन योजना के संदर्भ में निम्निल. खित कथनों पर विचार कीजिए-

- इस योजना के तहत पूँजीगत वस्तुओं का आयात शून्य सीमा शुल्क पर करने की अनुमित दी गई है।
- यह योजना 25% कम निर्यात बाह्यता के साथ पूँजीगत वस्तुओं के देश में ही विकास की अनुमित देती है।

सही कथन का चयन कीजिए।

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 व 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

6. एशिया का पहला EPZ कहाँ स्थित है-

सही कथन का चयन कीजिए।

- (a) चीन
- (b) भारत
- (c) जापान
- (d) म्यांमार

Answer Key:-

1. (d) 2. (c)

3.(d)

4.(d)

5.(c)

6. (b)